राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 738/2016/अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, भिवाड़ी. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी अनुपस्थित।

दिनांक : 13/09/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 171/आरवीएटी/2014–15/अपी.प्राधि./अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट **अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर आरोपित शास्ति रूपये 1,96,244/– को अपास्त किया गया है।

2. राजस्व पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजपुरा (पंजाब) से भिवाड़ी (राजस्थान) के लिये एम.एस. स्क्रेप परिवहनित किया जा रहा था। वक्त जांच माल से सम्बन्धित मैसर्स एलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, राजपुरा का इन्वॉयस संख्या 001023, नॉन–रिटर्नेबल गेटपास संख्या STR/F/05 दिनांक 01.12.2014, मैसर्स वशिष्ठ रोड़ कैरियर्स, भिवाड़ी की जी.आर. संख्या 304 एवं पंजाब सरकार का घोषणा पत्र वैट–XXXVI प्रस्तुत किये गये। माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नहीं पाया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चैकिंग की दिनांक 03.12.2014 को सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने से पूर्व ही पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या ए 5141301 प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया गया कि प्रेषक व्यवहारी द्वारा भूलवश उक्त दस्तावेज वाहन

लगातार.....2

चालक को देने से रह गया, जो अब पेश किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेज को अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसकी अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करते हुए शास्ति आदेश अपास्त किया गया है।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स डी.पी.मैटल्स (2001) 126 एस.टी. सी. 611** के न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रथम प्रदत्त अवसर पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है क्योंकि व्यवहारी द्वारा अन्य समस्त दस्तावेज वक्त परिवहन संलग्न किये गये थे एवं जांच के बाद अप्रस्तुत घोषणा पत्र वैट–47 भी प्रस्तुत कर दिया गया था अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है।

5. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 26.11.2015 की पुष्टि की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

13/9/2017

(के. एल.जैन)
सदस्य